प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ**0**प्र**0** शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी।

राजस्व अनुभाग-**1** लखनऊ**:** दिनांक**: 15** अक्टूबर, 2019

विषय**:-** ग्राम मानिकपुरा व सौजना तहसील मोठ जनपद झांसी में सोलर प्लान्ट लगाये जाने के हेतु मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग एनर्जी प्रा0 लि0 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित, 2019 की धारा-89(3) के अन्तर्गत 5.0586 हे0 से अधिक भूमि के संक्रमण की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-880/12ए-डी0एल0आर0सी0/2019-20, दिनांक 25 जुलाई, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 **(**उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012**)** यथा संशोधित अधिनियम, 2019 की धारा-89 की उपधारा (3) व उपधारा (4) (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग एनर्जी प्रा0 लि0 को 40 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लान्ट के निर्माण हेतु ग्राम मानिकपुरा व सौजना तहसील मोठ जनपद झांसी में 80.00 हे0 भूमि क्रय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं **:-**

(1) सौर ऊर्जा के निर्माण हेतु भूमि का संक्रमण अधिकृत संस्था के नाम निर्धारित मानकों के अनुसार किया जायेगा। निर्धारित मानक से अधिक भूमि का संक्रमण कदापि नहीं किया जायेगा।

(2) यदि संस्था उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से 05 वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है**,** तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89(2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा **105** के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(3) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन अर्थात सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर अनुमति शून्य समझी जायेगी और प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(4) अनुसूचित जाति**/**जनजाति के व्यक्तियों की भूमियों का संक्रमण उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006**-** की धारा **98/99** तथा अन्य संगत शासनादेशों**/**नियमों के अधीन होगा।

(5) संस्था के अध्यक्ष**/**सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी**/**अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था**/**व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण**/**विक्रय नहीं किया जायेगा।

(6) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत**/**स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण**/**विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर संस्था की 5.0586 हेक्टेअर से अधिक भूमि को राज्य सरकार में निहित कर लिया जायेगा तथा ऐसे निहितन के बदले कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है**,** अत**:** इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) जिलाधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006-यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2019-की धारा 89 में वर्णित व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत एतत् विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) उपरोक्त सभी शर्तों एवं प्रतिबंधों का अनुपालन अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग तथा जिलाधिकारी, झांसी द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

भवदीय
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. आयुक्त, झांसी मण्डल झांसी।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
5. प्राधिकृत अधिकारी, मैसर्स माहेश्वरी माइनिंग एण्ड एनर्जी प्रा0 लि0, मंधानी हाउस रोड नं0 14 बंजारा हिल्स हैदराबाद-500034 तेलंगाना।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आर0 वी0 सिंह
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।